

**STARVATION DEATHS (PRECAUTIONARY MEASURES AND RESPONSIBILITIES) BILL\***

श्री हुकम चन्द कछवाय (मुरेना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भूख से मृत्यु को रोकने के लिये ग्राम तथा जिला प्राधिकारियों द्वारा पूर्वावधानी उपाय करने तथा तत्सम्बन्धी जिम्मेदारी का उपाबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for precautionary measures by village and district authorities to avoid starvation deaths and for responsibilities therefor."

*The motion was adopted.*

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं विधेयक को पेश करता हूँ ।

**CHILD MARRIAGE RESTRAINT (AMENDMENT) BILL\***

*(Insertion of new section 13)*

SHRI M. C. DAGA (Pali): I move for leave to introduce a Bill further to amend the Child Marriage Restraint Act, 1929.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Child Marriage Restraint Act, 1929."

*The motion was adopted.*

SHRI M. C. DAGA: Sir, I introduce the Bill.

15.35 hrs.

**CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL**

*(Amendment of article 124)—Contd.*

*by Shri Atal Bihari Vajpayee*

MR. DEPUTY-SPEAKER: We now take up further consideration of the Bill further to amend the Constitution of India by Shri Atal Bihari Vajpayee. Out of 4 hours allotted, we had taken 1 hour 55 minutes and 2 hours 5 minutes are left. Mr. Madhu Limaye, who was on his feet last time, may continue.

श्री मधु लिमये (वांका) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ने पिछली बार शुरू ही किया था । सब से पहले मैं इस बात की चर्चा करना चाहता हूँ कि जो सत्ताधारी दल के सदस्यों ने उठाया था मेरे कांग्रेसी मित्रों के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर यह इल्जाम लगाया गया कि सर्वोच्च न्यायालय प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण से ग्रस्त है और उन के फ्रैंसलों की वजह से हमारा जो निर्देशक सिद्धान्त है चौथे चैप्टर में, उन को कार्यान्वित करने में, उन पर भ्रमल करने में सरकार को कठिनाई हो रही है । लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि अकेले सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस तरह प्रहार करना यह बिल्कुल बेमतलब है । सरकार अपनी वेईमानी को सुप्रीम कोर्ट की आड़ में छिप कर दृष्टि से अश्रमल रखना चाहती है । क्या सर्वोच्च न्यायालय, क्या सरकार और क्या यह सदन, तीनों वर्तमान व्यवस्था के अंग हैं और प्रतिक्रियावाद का अग्र अभियोग करना ही है तो सब से पहले मैं कार्यकारिणी के ऊपर, इस सरकार के ऊपर करूंगा । क्यों कि हमारे संसदीय लोकतन्त्र में परिवर्तन के बारे में पहल करनी चाहिये सरकार को, क्यों कि सरकार का सदन में बहुमत रहता है, सदन के ऊपर नियंत्रण रहता है । तो क्या सरकार ने संविधान के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिये जो उन के ऊपर दायित्व था, उस को निभाया है ?

\*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 16.11.73.